0028

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या: एचआरडी-1/8/2024/प्रकीर्ण-परिपत्र/1554 **दिनांक: 07 मई 2026**

सेवा में,

सभी अ.के.भ.नि आयुक्त(मुख्यालय)(आंचलिक कार्यालय)/अ.के.भ.नि.आ(आंचलिक कार्यालय)

विषय : कार्यालय में सहायक भविष्य निधि आयुक्त की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में लेखा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (प्रभारी अधिकारी) एवं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय-II (प्रभारी अधिकारी) संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत लेखा अधिकारियों (एओ) को आंचलिक अ.के.भ.नि.आ(मुख्यालय)/अ.के.भ.नि आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत, लेखा, नकदी एवं/अथवा पेंशन अनुभागों का अतिरिक्त प्रभार प्रदान कर सकते हैं। यह अतिरिक्त प्रभार इस आदेश के जारी होने की तिथि से अधिकतम 45 दिनों की अवधि हेतु ही मान्य होगा तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

i अतिरिक्त प्रभार केवल उतने ही लेखा अधिकारियों को प्रदान किया जाएगा, जितनी संख्या में सहायक भविष्य निधि आयुक्त / क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II संवर्ग में रिक्त पद उपलब्ध हैं।

ii यह सुनिश्चित किया जाए कि संवेदनशील पदों पर कार्य हेतु अधिकारियों के चयन में वरिष्ठता एवं उपयुक्तता को विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाए।

(केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,

(योगेश कुमार)

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (एचआरडी-I)

प्रति:

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी - सूचनार्थ।